प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य —

The aims and objectives of Teachers Education at Elementary Level

आरम्भिक शिक्षा साधारणतया कक्षा एक से सातवीं और आठवीं कक्षा तक फैली हुयी है। जिसका आयुवर्ग 5+16 से 12/13/14 तक माना गया है- इसमें दो स्तर सम्मिलित है —

① प्राथमिक स्तर – (कक्षा एक से पाँच

② अपर प्राइमरी स्तर – (कक्षा 6 से आठ) तक

① प्राथमिक स्तर → प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित किये गये हैं, एक भाषा अर्थात मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा गणित पर्यावरणीय अध्ययन और शनैः शनैः विज्ञान एवं० विज्ञान, शिक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्यानुभव आदि।

(2) अपर प्राथमिक स्तर :-

अपर प्राथमिक स्तर पर दूसरी तथा तीसरी भाषाएँ जोड़ी जा सकती है तथा विज्ञान को अलग विषय के रूप में भी जोड़ा जा सकता है। सामान्यतः कक्षाध्यापक प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी विषय (शैक्षिक) को पढ़ाया जाता है। तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों के चयन में शिक्षक की विशिष्ट रुचि तथा प्रवीणताएँ मानी जायेगी।

पढ़ाये जाने वाले विषय - समूह -

जो शिक्षकों द्वारा तत्परता के साथ पढ़ाये जाते हैं के सम्भावित रूप से हो सकते हैं - यथा - गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा भाषाएँ आदि।

प्रत्येक शिक्षक को विशिष्ट विषय क्षेत्रों में से एक या दो विषयों के प्रति योगदान देने में सक्षम होना चाहिए।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य -
The objectives of Primary, upper primary (Elementary Education)

प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित मुख्य लक्षणों को ध्यानगत करना चाहिए -

(1) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा विशेषत: विभिन्न पाठ्यक्रम जन्य विषय सम्बन्धी के सामान्य सिद्धांतों का अवबोध

(2) प्राथमिक शिक्षा स्तर से सम्बन्धित विषय यथा भाषाएं गणित, पर्यावरणीय अध्ययन विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कार्यानुभव कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा आदि व अधिगम अनुभव की व्यवस्था में दक्षतामय सटीक स्थितियां, लक्ष्यों, प्रतिनिधित्व तथा तात्कालिक प्रबन्ध आदि।

(3) नामांकन अवरोधन में सम्बर्द्धन हेतु आवश्यक अभिवृत्तियां क्षमताएं एवं विद्यालय अलगाव द्वारा उत्पन्न अपव्यय को रोकना।

(4) शिक्षार्थी-केन्द्रित कार्यविधि आधारित अन्तः क्रिया निर्दिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के संयोजन एवं व्यवस्था में प्रवीणता।

(5) न्यूनतम एक अथवा दूसरी शिक्षा सेवाओं की व्यवस्था में जैसे-प्रौढ़-शिक्षा जनजाति शिक्षा तथा कन्या शिक्षा में योगदान हेतु अभिवृत्तियाँ तथा दक्षताएँ आवश्यक है।

(6) 6 से 14 आयु वर्ग के छात्रों के सम्वर्द्धन तथा विकास में अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अवबोध का विकास।

(7) समेकित शिक्षण समेत बाल्यकालीन शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान को अर्जित करना।

(8) बाल-व्यक्तित्व की रचना में गृह अभिभावक की भूमिका तथा क्षेत्रीय तथा सामुदायिक की भूमिका तथा परस्पर लाभकारी गृह-विद्यालय सहसम्बन्ध के विकास का अवबोध।